रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937
No. 564] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 701(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 37क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित कोई अचल संपत्ति के कुल मूल्य की अनिवार्य प्रारंभिक सीमा को न्यूनतम एक करोड़ रु. के रूप में विहित करती है।

[फा. सं. ए-12011/02/2014-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 37A of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby prescribes the mandatory threshold of the aggregate value of Foreign Exchange, Foreign Security or any immovable property, situated outside India as not less than rupees one crore.

[F. No. A-12011/02/2014-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 702(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 37क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रर्वतन निदेशालय के कम से कम सहायक निदेशक की रैंक के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. ए-12011/02/2014-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37A of the Foreign Exchange Management Act**,** 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby authorises, the officers of the Directorate of Enforcement, not below the rank of Assistant Director, to act as the Authorised Officer.

[F. No. A-12011/02/2014-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.